**प्रापक द्वारा दिया जाने वाला बन्ध पत्र (आदेश XL नियम 3)**

**(हक)**

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम ................................... एवम् .........तथा......... को कथित ................... तथा तत्समय प्रवृत्त पद में उसके उत्तरवर्ती को संदाय किया जाने के लिए ................... रुपये में ................... की न्यायालय को........ संयुक्त रूप से तथा पृथक तौर पर आबद्ध किया जाता है जिसके लिए किया जाने संदाय से हम स्वयं को तथा इस विलेख से संयुक्त रूप में और पृथक-पृथक हममें से प्रत्येक, पूर्णतः हमारे तथा हमारे वारिसों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को आबद्ध करते हैं।

तारीख ................... सन् 200.......... यतः एक वादपत्र (यहाँ वाद का उद्देश्य अन्तःस्थापित करें) के प्रयोजनार्थ ................... के विरुद्ध ................... द्वारा इस न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। और यतः कथित ................... स्थावर सम्पत्ति का किराया एवम् लाभ प्राप्त करने के लिए तथा नामित किये गये कथित वादपत्र में ............... की जंगम सम्पत्ति को परादेय बनाने के लिए ऊपर वर्णित न्यायालयों के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है।

अब इस बाध्यता की शर्त इस प्रकार है यदि ऊपर वाण्डेन ................... संपूर्ण एवम् प्रत्येक रकम तथा उस धनराशि के लिए सम्यकरुपेण लेखा रखेगा जिसका वह स्थावर सम्पत्ति का किराया एवम् लाभ के लेखे पर इस प्रकार प्राप्त करेगा और ऐसी कालावधि पर कथित ............ की जगम सम्पत्ति की बाबत जो न्यायालय नियत करेगा, और उस बकाये का सम्यक रूप से संदाय करेगा जसको समय-समय पर उससे देय होने के लिए प्रमाणित किया जायेगा और कथित न्यायालय ने निर्देश दिया या इसके पश्चात् निर्देश देगा, तब यह बाध्यता शून्य होगी अन्यथा यह पूर्णतया प्रवर्तनीय रहेगी।

................ की उपस्थिति में ऊपर वाण्डेन द्वारा हस्ताक्षरित एवम् परिदत्त किया गया।

**(हस्ताक्षरित)**

**साक्षीगण :**

**1.**

**2.**